न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/03/2016	22–02–2016	29–08–2019

01– तारूसिंह पुत्र स्व0 कृपालसिंह जाति लबाना सिख निवासी ग्राम दोंगड़ा तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार किशनगढ़–बास जिला अलवर।

02– महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जिऊ सिंह

03– रिछपाल सिह पुत्र स्व0 जिऊ सिंह

04– मुसाफरसिंह उर्फ मुलाफिरसिंह पुत्र स्व0 जिऊ सिंह जातियान लबाना सिख निवासीयान ग्राम दोंगड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर हाल निवासी दिल्ली।

–असल रैस्पोडेन्ट्स

05– रांझू सिंह पुत्र स्व0 कुपालसिंह

06– साजन सिंह पुत्र स्व0 कृपालसिंह

07– शांति कौर बेवा कुन्दनसिंह पुत्रवधू स्व0 कृपालसिंह

08– वकील सिंह पुत्र स्व0 कुन्दनसिंह पौत्र स्व0 कृपालसिंह जातियान लबाना सिख निवासीयान ग्राम दोंगड़ा तहसील किशनगढ़–बास जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश पट्टा सं. 742/89 दिनांक 04.10.1989 वाके ग्राम दोंगड़ा तहसीलदार किशनगढ–बास जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री मनमीत सिंह –वकील अपीलांट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढ़–बास के आदेश दिनांक 04.10.1989 जिसके द्वारा पट्टा संख्या 742/89 वाके ग्राम दोंगड़ा तहसील किशनगढबास रैस्पो0 सं. 2 लगा0 4 को जारी किया गया है से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नहीं रही थी। अपीलांट व असल रैस्पो0 2 लगा0 4 के मध्य अन्य मुकदमें बाजी भी चल रही है। असल रैस्पो0 2 लगा0 4 ने अपीलांट ने अब बताया कि विवादित आराजी बाबत उन्होने पट्टा प्राप्त कर लिया है, इसलिए अपीलांट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करेंगे। उक्त पट्टे से बाबत जब जानकारी की गई तो जनवरी, 2016 में ज्ञात हुआ कि विवादित आराजी का रैस्पो0 2 लगा0 4 ने कथित सनद पट्टा प्राप्त कर लिया है। नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी। दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पृथक से पेश किया गया है। तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1160 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा जो साबिक खसरा नम्बर 437, 457 से बने है। उक्त विवादित आराजी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 5 व 6 के पिता व 7 के ससूर तथा 8 के दादा श्री कृपालसिंह की आवंटनशुदा आराजी है। जिसकी सनद पूर्व में श्री कृपाल सिंह के नाम से जारी हो चुकी थी। जो सनद पट्टा सं0 1115/71 –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

P.T.O.

दिनांक 24.05.1971 है। श्री कृपालसिंह अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर अपीलांट व तरतीबी रैस्पो. काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से बिना मौका व रिकॉर्ड की जांच किये सनद पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना अपीलांट के पिता तथा ना ही अपीलांट व तरतीबी रैस्पो0 को उक्त पट्टे बाबत नोटिस से तलब किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। केवल तत्कालीन जमाबंदी को आधार बनाकर पट्टा जारी किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पुराना रिकॉर्ड जांचना चाहिए था। रैस्पो0 2 लगा0 4 के पिता जिऊ सिंह के नाम पहले ही पट्टा जारी किया हुआ है। जिसमें उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर जिऊ सिंह के नाम पर दिये गये पट्टे में शामिल नहीं है। यदि जिऊ सिंह इन खसरा नम्बर का अलोटी गैरखातेदार होता तो पूर्व मे जारी सनद में भी यह नम्बर शामिल होना चाहिए था। उसके लिये अलग से पट्टा लेने की आवश्यकता नहीं थी। विवादित आराजी रैस्पो0 2 लगा0 4 की कभी नहीं रही है। आलोच्य आज्ञा गलत जारी की गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.1989 सनद पट्टा सं0 742/89 वाके ग्राम दोंगड़ा तहसील किशनगढ–बास अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सनद पत्रावली 1115 दि. 24.05.1971 का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी कृपालसिंह के प्रा0पत्र पर जिला कार्यालय अलवर से पट्टा लेने हेतु दि. 21.05.1971 को नोड्यूज जारी किया हुआ है। जिसकी रिपोर्ट दि. 24.05.1971 को यह की गई है कि अलोटी ने मांग ना होने का प्रमाण–पत्र जिलाधीश महोदय पुनर्वास अलवर से प्राप्त कर लिया है। सायल का पट्टा पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर लिया है। यदि आज्ञा हो तो सनद दी जावें तथा पट्टा सं. 1115/71 दि. 24.05.1971 जारी किया गया है। पट्टा सं. 742/89 दि0 04.10. 1989 को अवलोकन करने से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1160 जिसके साबिक खसरा नम्बर मिन 437 व मिन 457 बने है, जो रैस्पो0 2 लगा. 4 को पुनः अलोटमेंट कर दिया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी से संबंधित पूर्व में की गई कार्यवाही पर ध्यान नहीं दिया गया। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर अपील प्रथमदृष्टया (Prima facie) न्यायहित में उचित प्रतीत होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढ़–बास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नियमानुसार पुनः जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढ–बास को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)